

B.Ed.part =1,paper 1,Topic: शिक्षा की प्रणाली (Mode of Education)

Presented::Dr.Pallavi

इस पाठ में आपको शिक्षा की प्रणाली अथवा प्रकारों की जानकारी दी जा रही है। पिछली इकाईयों में आपने शिक्षा के सामाजिक तथा वैयक्तिक आवश्यकताओं के बारे में आपने पढ़ा है। इस अध्याय में शिक्षा के स्वरूप अथवा विधियों या प्रकारों के बारे में विस्तार से पढ़ा। शिक्षा, मानव अधिगम एवं शिक्षा का स्वरूप और स्वभाव से अंतःक्रियात्मक होता है। यह अंतःक्रिया भौतिक जगत् अथवा सामाजिक जगत् दोनों में से किसी से भी हो सकती है।

हमारे वेदों तथा पुराणों में वर्णित है कि बच्चे की शिक्षा-दीक्षा गर्भाकाल से ही शुरू हो जाती है। यानी शिक्षा में माँ तथा परिवार का प्रथम तथा अहम योगदान है और यहीं से बच्चे बाहरी दुनिया को जानना शुरू करते हैं। इसके अलावा खेल का मैदान, विद्यालय, समाज, समुदाय, राज्य, धर्म, शिक्षा के साधन के रूप में समाचार पत्र रेडियो, टेलिविजन, इंटरनेट, कम्प्यूटर आदि भी अपने अपने तरह से बच्चे को शिक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रस्तुत पाठ में शिक्षा देने की विधि के रूप की विस्तृत चर्चा की जा रही है।

3.1 शिक्षा की प्रणाली (Mode of Education) : भारतीय शिक्षा जगत में पुरानी मान्यता है कि बच्चों को शिक्षा उनके जन्म से अथवा गर्भाकाल से ही शुरू हो जाती है। तभी बच्चे की माँ के खान-पान से लेकर उनके आस-पास के वातावरण का भी अच्छा रखने पर जोर दिया जाता है कि अगर माँ का तन-मन अच्छा महसूस करेगा; तभी बच्चा स्वस्थ तथा सदाचारी होगा। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्र **जॉन डिवी** के अनुसार शिक्षा का अर्थ है-जीवन का विकास। उनका मत है कि जीवन का विकास का अच्छा या बुरा होना वंशानुगत तथा वातावरण पर ही निर्भर करता है। वंशानुक्रम निश्चित होता है, परन्तु वातावरण का परिवर्तन द्वारा अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है। अतः जीवन अथवा विकास का अच्छा या बुरा होना वातावरण पर ही निर्भर करता है। इस दृष्टि से बालक के जीवन तथा विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करना ही शिक्षा है। परिवार, समुदाय, धर्म, राज्य, स्कूल, पुस्तकालय, पुस्तक, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, प्रदर्शनी तथा समाचार पत्र आदि तत्व बालक के वातावरण को प्रस्तुत करता है। शिक्षा देने के इन सभी विधियों को "शिक्षा के साधन" (Agency of Education) के नाम से जाना जाता है। शिक्षा के सभी साधन बालक पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। ये सभी साधन बालक के वातावरण में ही मौजूद रहते हैं। इन्हीं साधनों में जिन साधनों से बालक अनायास हो अपनी रुचि के अनुसार सीखता है, उसे अनौपचारिक (Informal Education) साधन कहते हैं। परन्तु निर्धारित समय के अंदर दिए गए उद्देश्यपूर्वक शिक्षा को शिक्षा के औपचारिक शिक्षा (Formal Education) कहते हैं। उसके अलावा शिक्षा तकनीकी के अन्य माध्यमों से दी जाने वाली शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा (Non-formal Education) कहते हैं।

3.2 शिक्षा का औपचारिक स्वरूप/ विध्यालयीय स्वरूप (Education as Formal/ School Education Type):

औपचारिक या विध्यालयीय शिक्षा को नियमित शिक्षा भी कहते हैं। इस तरह की शिक्षा जान-बूझकर और विचारपूर्वक दी जाती है। इस प्रकार की शिक्षा को बालक भी जान-बूझकर प्राप्त करता है। इस शिक्षा की योजना पहले ही बना ली जाती है और इसका ध्येय भी निश्चित कर लिया जाता है। इसमें बालक को निश्चित समय पर और नियमित रूप से निश्चित ज्ञान दिया जाता है। इन्हीं औपचारिक संस्थाओं को विद्यालय अथवा स्कूल (school) के नाम से संबंधित किया जाता है।

विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में चलने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां निश्चित होती हैं। औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध होती है और इसकी योजना बहुत कठोर होती है। सीखने तथा सीखाने वालों को विद्यालय, महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालय में समय-सारणी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। औपचारिक शिक्षा में परीक्षा लेने तथा प्रमाण पत्र देने की भी व्यवस्था होती है। इसका सम्पूर्ण वातावरण नियंत्रित रहता है। इनके कार्य करने का स्थान तथा समय भी निश्चित होता है। इनकी देखभाल प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा होता है। इन सब साधनों के नियम भी अलग अलग होता है। यही नहीं, इन सबका सम्पूर्ण कार्यक्रम एक विशेष अनुशासन के अंतर्गत होता है और इसके प्रकार तथा कार्य का ढंग भी अलग अलग होता है, जो पूर्व निश्चित रहता है।

अतः हम कह सकते हैं कि औपचारिक साधनों में शिक्षा की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है। इसमें निश्चित उद्देश्य के लिए नियंत्रित वातावरण में ज्ञान (पाठ्यक्रम) निश्चित स्थान पर निश्चित चिधि द्वारा दिया जाता है।

औपचारिक शिक्षा की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि यह व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकता पूर्ति करती है। इसी शिक्षा के आधार पर समाज की दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक मांगों की पूर्ति में सहायता मिलती है और इस कार्य के लिए विशेषज्ञों की भी सहायता ली जाती है तथा उन्हें तैयार किया जाता है। इससे समाज की उन्नति होती है। औपचारिक शिक्षा ही वह साधन है, जिससे अध्यापक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, तकनीशियन आदि तैयार होते हैं। औपचारिक शिक्षा के अभाव में ऐसा होना संभव नहीं है, इससे ही समाज की उन्नति होती है। हालांकि इस शिक्षा व्यवस्था में अधिक धन एवं समय खर्च करना पड़ता है और बहुत संख्या में छात्रों को अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। यह इस शिक्षा व्यवस्था में होने वाले अपव्यय तथा अवगत है।

हालांकि औपचारिक शिक्षा को कई स्तरों पर चांटा तथा व्यवस्थित किया जाता है। सभी स्तरों पर परीक्षाएँ होती हैं तथा प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। इन प्रमाण-पत्रों का उपयोग विद्यार्थी नौकरियों (सरकारी तथा गैर सरकारी), व्यवसाय अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए करते हैं।

औपचारिक शिक्षा के साधन को 'स्कूल' अथवा 'विद्यालय' कहते हैं। विद्यालय को समाज का लघु स्वरूप भी कहते हैं। विद्यालय का अपना आचार संहिता तथा अपना सामाजिक परिवेश होता है। साथ ही इसकी अपनी आने संस्कृति भी होती है। यहाँ आने वाला विद्यार्थी चाहे किसी भी सामाजिक परिवेश से आया हो, उसे विद्यालय के नियमों का पालन करना होता है, साथ ही विद्यालय विशेष के सामाजिक परिवेश में समायोजित (Adjust) होना पड़ता है।

3.2.1 औपचारिक साधन/विद्यालय के प्रमुख कार्य (Formal Agencies/ Main Functions of School).

शिक्षा के मुख्य औपचारिक साधन के रूप में विद्यालय के निम्नलिखित कार्य हैं।

- (1) भविष्य को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों में प्रतिबद्धता एवं समताएँ विकसित करना।
- (11) समाज की जरूरतों के अनुसार विद्यार्थियों में संभावनाओं का विकास करना, जिससे कुशल मानव संसाधन का विकास किया जा सकता है।
- (iii) समाज की दशा और दिशा निर्धारित करने वाले आचरण का विद्यार्थियों में समावेश करवाना।

विद्यालय के प्रमुख कार्य के रूप में समाज के युवा पीढ़ी का सामाजिकरण (Socialization) है। जिसके तहत व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे भविष्य में अपनी भूमिका का पूर्णरूपेण निर्वाह कर सकें।

व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर विद्यालय प्रत्येक विद्यार्थियों को अपना विकास करने के लिए वातावरण, तकनीक तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाता है; जिससे उनमें निहित योग्यताओं का विकास हो सके और वे भावी भूमिका के निर्वहन के लिए तैयार हो सके। ऐसी प्रतिबद्धताओं के लिए दो घटक होते हैं।

- (i) समाज के सामान्य तथा व्यापक मूल्यों का पालन करने की प्रतिवद्धताएँ,
- (ii) सामाजिक संरचना के अंतर्गत विशिष्ट भूमिका के निष्पादन के लिए, प्रतिवद्धताएँ।

इस प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य अथवा व्यवसाय में लगा हो और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करता हो, उसे यथार्थ नागरिक (Social citizen) कहते हैं।

इसी प्रकार क्षमता दो प्रकार की होती है-

- (i) व्यक्तिगत कुशलताएँ तथा क्षमताएँ - जो व्यक्तिगत भूमिकाओं के निर्वहन में सहायक होती हैं।
- (ii) सामाजिक कुशलता-सामाजिक भूमिका के निर्वहन के लिए कुशलता तथा उत्तरदायित्व की भावना के प्रति भूमिका होती है।

इनके साथ ही सभी व्यक्तियों में दूसरे व्यवसाय वालों के प्रति सम्मान तथा सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। उनमें अपने कार्य के प्रति समर्पण के भाव के साथ साथ दूसरे के कार्यों की अहमियत भी अन्दाज चाहिए तथा उत्तरदायित्व के साथ व्यवहार करने की भी योग्यता होनी चाहिए।

सामाजिक कुशलता में सामाजिक भूमिका का निर्वहन के लिए समाज में पाई जाने वाली संसाधनों का निर्धारण किया जाता है। इसका आधार विद्यार्थियों में पाई जाने वाली मूल योग्यताएँ तथा कार्यों के अनुरूप विशिष्ट अध्ययन क्षेत्रों में विद्यार्थियों की रुचि तथा उपलब्धियों पर निर्भर करता है। समाज में जिस व्यवसाय के लोगों को ज्यादा मांग होती है; उस व्यवसाय में सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों की भी मांग बढ़ती है तथा उस विषय का पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अधिक संख्या में होते हैं। उदाहरणार्थ यदि समाज में कम्प्यूटर से सम्बन्धित जानकारी रखने वाला को मांग ज्यादा है तो हमें उनके अनुरूप विषय अर्थात् गणित तथा विज्ञान विषयों को दक्षता के आधार पर कर सकते हैं। यदि हमें डॉक्टरी के व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों का चयन करना है तो उनको मूल योग्यताओं का आकलन विज्ञान विषयों यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में दक्षता के आधार पर किया जा सकता है।

उपरोक्त उदाहरण इन बातों की तरफ इंगित करते हैं कि विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि अलग-अलग योग्यताओं के लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप बाँट लें तथा उसके अनुसार उन छात्रों/छात्राओं को शिक्षा दिया जा सके। इस प्रकार योग्यता के अनुरूप पृथक्करण की नीति पर चलकर ही व्यक्ति तथा समाज की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के तहत अधिकांश व्यक्तियों का समायोजन भी भली-भाँति पूरा होते दिखाई देता है।

अपनी हालांकि लोग इस प्रक्रिया से असहमत रहते हैं, उनके अनुसार, इस प्रकार का पार्थक्य का नियम (चुनने के प्रक्रिया) बुद्धिलब्धि के आधार पर किया जाता है। वहाँ इस बात को काफी संभावना रहती है कि बुद्धि परीक्षण सामाजिक या आर्थिक रूप से सुविधा होन लोगों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। अगर लोगों को उनकी शैक्षिक समताओं तथा योग्यताओं के अनुरूप कार्य न दिए जाएँ तो ऐसी अवस्था में वे कभी भी अपने आपको समायोजित नहीं कर पाएंगे और न ही समाज में अपनी उपयोगिता क्षमता अनुरूप साबित कर पाएंगे।

3.2 .2 विद्यालय : शिक्षा के साधन के रूप में (School : As an Agency of Education)

प्रत्येक समाज अपने सदस्यों को शिक्षा का दायित्व स्वयं अपने ऊपर लेता है। वह इस दायित्व का निर्वाह करता है। **ब्रुबेकर** (Brubacher) के अनुसार स्कूल (school) के तीन कार्य हैं-(i) संरक्षण कार्य, (ii) प्रगतिशील कार्य तथा (iii) निष्पक्ष कार्य। **टमसन** (Thomson) के अनुसार विद्यालय के पाँच कार्य हैं-(1) मानसिक प्रशिक्षण, (2) चारित्रिक प्रशिक्षण, (3) सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण, (4) राष्ट्रीय गौरव एवं देश-प्रेम का प्रशिक्षण तथा (5) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का प्रशिक्षण।

उपर्युक्त बातों को हम मुख्यतः दो भागों में औपचारिक तथा अनौपचारिक अथवा प्रत्यक्ष एवं नवोद्भावित (विकासोन्मुख) कार्य में बाँट सकते हैं।

(क) विद्यालय के औपचारिक अथवा प्रत्यक्ष कार्य (Formal or Direct Functions of School) में निम्नलिखित कार्य आते हैं

(i) संस्कृति की सुरक्षा, सुधार तथा हस्तान्तरण (Preservation, improvement and Transmission of Culture)

(ii) मानसिक शक्तियों का विकास (Development of Mental Powers)

(iii) गतिशील तथा संतुलित मस्तिष्क का निर्माण (Cultivation of Dynamic and Adaptable Mind)

(iv) व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education)

(४) मानवीय अनुभवों का पुनर्गठन और पुनर्चना (Reorganization and Reconstruction of Human Experiences)

(vi) नागरिकता का विकास (Development of Citizenship) (v) चरित्र का विकास (Development of character)

(ख) विद्यालय के अनौपचारिक अथवा नवोद्भावित (विकासोन्मुख) कार्य (Informal or Emerging Functions of School)-इसमें निम्नलिखित कार्य (Function) आते हैं।

(i) वैयक्तिक तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान (Personal and Social Problem Solving)

(ii) सामाजिक भावना का विकास (Development of Social Feeling)

(iii) नए ज्ञान का संचरण अथवा विस्तार (Diffusion or Extension of New Knowledge)

(iv) यौन शिक्षा तथा पारिवारिक जीवन की शिक्षा (Education of Sex Education and Family Life)

(v) सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अवसरों की समानता प्रदान करना (Providing Equality of Opportunity for a Social Position)

6) सार्वभौमिक दृष्टिकोण का विकास (Development of Universal Outlook)

अब इन कार्यों को विस्तारपूर्वक समझेंगे :

(क) विद्यालय के औपचारिक अथवा प्रत्यक्ष कार्य (Formal or Direct Functions of School)

(1) संस्कृति की सुरक्षा, सुधार तथा हस्तान्तरण (Preservation, Improvement and Transmission of Culture)-विद्यालय का कार्य संस्कृति की सुरक्षा, उनमें सुधार तथा उसे भावी पीढ़ी को हस्तान्तरित करना है। इसके लिए सामान्यतः इतिहास, साहित्य, कला तथा शिल्प इत्यादि विषयों का खास उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय ऐतिहासिक तथा अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को उत्सव के रूप में मनाना भी युवा तथा बालकों में संस्कृति के संप्रेषण तथा संवर्धन (Transmission and Preservation) का अच्छा साधन है। परन्तु, विद्यालय (Acculturation) कार्य इन सामाजिकरण कार्य (socialization) से भिन्न होता है। सामाजिक का संबंध उन वास्तविक व्यवहार-प्रारूपों से है, जिन्हें समाज कौशलों के नाम से पुकारता है, जबकि उत्संस्करण के अंतर्गत भूतकाल के उस ज्ञान को प्राप्त करना आता है, जिसे संस्कृति के रूप में हस्तांतरित किया गया है तथा जो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति आदि को प्रभावित करता है।

विद्यालय में बच्चे का समाजीकरण (Socialization) की प्रक्रिया में दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए अपनी बारी का विनम्रता पूर्वक प्रतीक्षा करना आदि के द्वारा होता है। तो दूसरी ओर, इतिहास के औपचारिक अध्ययन के द्वारा (बच्चों को बैलगाड़ी से लेकर मोटरगाड़ी के ज्ञान से संबंधित) बच्चों में उत्संस्करण होता है।

(ii) **मानसिक शक्तियों का विकास (Development of Mental Power)** विद्यालय का पहला काम बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास है, जिससे स्वतंत्र रूप से शक्ति का उपयोग कर सकें। विद्यालय इस कार्य के लिए के सामने जिज्ञासा तथा उत्सुकता का वातावरण बनाते हैं, जिससे बच्चों का विकास उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं आदि के अनुसार हो सकें।

(iii) **गतिशील एवं संतुलित मस्तिष्क का निर्माण (Cultivation Dynamic and Adaptable)** विद्यालय का दूसरा प्रमुख कार्य है बच्चों में गतिशीलता तथा संतुलित मस्तिष्क का विकास करना है। जिससे बच्चे प्रत्येक परिस्थिति में सही ढंग से सामंजस्य बैठा सकें।

(iv) **व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education)-विद्यालय** का एक प्रमुख कार्य बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देना भी है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनते हैं और अपने जीविका को समस्या को में सक्षम हो जाते हैं।

(iiiiii) **मानवीय अनुभवों का पुनर्गठन और पुनर्चना (Recognition and Reconstruction of Human Experiences)**-विद्यालय को समाज का लघु स्वरूप भी कहा जाता है। अतः विद्यालय मानवीय अनुभवों को पुनर्गठन तथा पुनर्चना करना भी है। विद्यालय अपने कार्यों के माध्यम से न केवल समाज को निरंतरता बनाये रखता है, बल्कि उसे इसके विकास हेतु भी प्रयत्नशील रहता है। अतः विद्यालय को सदैव मानवीय अनुभवों का पुनर्गठन तथा पुनर्चना करते रहना चाहिए और इस कार्य के लिए विद्यालय को सदैव उच्च संस्कृति के निकट भी रहना चाहिए। इसके लिए ज्ञान की उच्च शाखाओं में शोध की आवश्यकता है और इस कार्य को भी केवल विद्यालय में ही पूरा कर सकते हैं।

(6) **नागरिकता का विकास (Development citizenship)-**

विद्यालय का एक अहम औपचारिक शासकों के अन्दर नागरिकता के गुणों को विकसित करना है, ताकि ये अपने नागरिक दायित्वों का सही से निर्वाह कर सकें। आदर्श नागरिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों का ज्ञान तथा उनका उचित प्रयोग करना परम आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जाता है कि बच्चों को अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों का ज्ञान हो जाये।

(7) **चरित्र का विकास (Development of Character)-**

चरित्र निर्माण का इतना अधिक महत्व है कि कुछ लोग इसे मूल साक्षरता से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। प्राचीन काल से बच्चों के चारित्रिक विकास का दाप परिवार तथा धर्म पर था। परन्तु, विद्यालय के मुख्य दायित्वों में एक दायित्व चरित्र का निर्माण करना भी है।

(ख) **विद्यालय के अनौपचारिक अथवा नवोद्भावित (विकासोन्मुख) कार्य (Informal or Inform Function of School)** कार्य-विद्यालय के मुख्य कार्यों के अलावा कुछ अनौपचारिक तथा उन्मत्तो कार्य भी करता है। अतः इस संबंध में विद्यालय के निम्नलिखित कार्य हैं-

(i) **वैयक्तिक तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान (Personal and Social Problem Solving)** प्रो० डिवी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य बच्चों को इस योग्य बनाना है कि य अपनी वैयक्तिक तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान निकाल सकें। शिक्षा देने की प्रक्रिया ऐसी हो कि यह वैयक्तिक जीवन से संबंधित कठिन समस्याओं जैसे-पारिवारिक, मानसिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, कार्यस्थल तथा समाज के दबाव या समस्या का के रामावश के लिए विद्यालय द्वारा बच्चों को समाज से जुड़ी समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान स्वयं ढूंढने को प्रेरित करने वाली क्रियाओं को शामिल करना होगा।

(ii) **सामाजिक भावना का विकास (Development of Social Feeling)**-बालक में सामाजिकता को भावना का विकास करना भी विद्यालय का प्रमुख कर्तव्य है। विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। अतः विद्यालय को चाहिए कि वह बालक के सामने छात्र संगठनों (Students Unions), समाज सेवा कैम्प (Social Service Camps), सामाजिक उत्सव (Social Functions) तथा अभिभावक-शिक्षक संघ (Parent-Teacher Association) आदि की व्यवस्था करके ऐसा सामाजिक वातावरण प्रस्तुत करें कि बालकों में सामूहिक प्रवृत्ति तथा सामाजिक दृष्टिकोण उत्पन्न होते रहे तथा उनमें सामाजिक चेतना, सहानुभूति, सहयोग, सामाजिक सेवा, सहनशीलता तथा अनुशासन आदि विभिन्न सामाजिक गुण विकसित हो जायें।

(iii) **नए ज्ञान का संचार अथवा विस्तार (Diffusion of New Knowledge)**-पन्द्रहवीं शताब्दी में औद्योगीकरण तथा उसके बाद लगातार तकनीकी क्षेत्र में वैज्ञानिकों, शिल्प वैज्ञानिकों तथा अन्य अन्वेषकों की खोजों के फलस्वरूप ज्ञान का विशाल विस्फोट हुआ है। इस दिन-प्रतिदिन बदलते परिवेश में समायोजन (Adjustment) करना, जो उनके अग्रजों से सर्वथा भिन्न है। अतः इन नए विचारों का संचरण करने के सिवाय विद्यालय के पास का कोई विकल्प नहीं है। इससे बच्चों को इन परिवर्तनों को समझने में सहायता मिलेगी तथा वं बढ़ती अपेक्षाओं के अनुरूप अपने को डाल सकेंगे।

(iv) **सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अवसरों की समानता प्रदान करना (Providing Equality of Opportunity for a Social Position)** -हमारे संविधान के अनुसार सभी (धर्म, गति, लिंग, सम्प्रदाय) को सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय का अधिकार प्राप्त है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, समान्य हो अथवा विकलांग, सभी का सफल होने के लिए समान अवसर उपलब्ध है।

(5) **यौन शिक्षा तथा पारिवारिक जीवन को शिक्षा (Educational Sex Education and life)** -अब तक भारतीय परम्परा में यौन शिक्षा तथा पारिवारिक शिक्षा औपचारिक रूप से अपने समयस्को के पारस्परिक सम्पर्कों द्वारा ही होता था। परन्तु, 'एड्स' जैसे भयानक रोग ने शिक्षा में यौन तथा पारिवारिक शिक्षा को भी जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे किशोरावस्था में बच्चे इसे जानने समझने की उत्सुकता में कोई गलत कदम न उठा ले। अतः इसपर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यही कारण है कि यौन शिक्षा का विद्यालयी पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है, ताकि विद्यार्थीयोग को क्रमबद्ध रूप से यौन शिक्षा प्राप्त हो सकें और वे असुरक्षित लैंगिक क्रियाओं के खतरों से अवगत हो सकें।

(6) **सार्वभौम एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास** (Development Universal Outlook Scientific Emperor outlook)-भारत में विभिन्न संस्कृतियों, जातियाँ, धर्म तथा सभी भाषाओं का जानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ का संविधान मत निरपेक्ष, लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र है। अतः सभी क प्रति सहिष्णुता तथा सम्मान अपरिहार्य है। वर्तमान में भिन्न समूहों के साथ सामंजस्य बनाने की शिक्षा देना भी विद्यालय के प्रमुख कार्यों में आता है। दूसरे को समझने का गुण, सहानुभूति, पारस्परिक सहिष्णुता तथा सम्मान आदि का बच्चों में विकसित करना विद्यालय के प्रमुख गुणों में आता है। वास्तव में यही विद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। यह सामाजिक संबद्धता भी सुनिश्चित करता है। यह समाज में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को भावना का विकाम करता है।

विद्यालय औपचारिक विधि से शिक्षा देने का एक सशक्त साधन है। विद्यालय में बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने के अलावा भविष्य में समाज से समायोजन के दौरान आने वाली समस्याओं को भी समझने तथा सुलझाने की समझ को बच्चों में विकसित करता है। इस सारो बातों पर ध्यान देने से पता चलता है कि बच्चों का समाज से समायोजन में विद्यालय अपनों से शमा भूमिका निभाता है। शिक्षा के औपचारिक साधन के रूप में विद्यालय के योगदान को देखने के बाद, अब हम शिक्षा के अनौपचारिक साधन को विस्तार से जानेंगे।

3.3 अनौपचारिक/स्वाभाविक प्रकार (Education as Informal/incidental Type)

जिस शिक्षा का उद्देश्य निश्चित नहीं हो, कोई योजना नहीं बनाई गई हो, न हो निश्चित पाठ्यक्रम हो, ऐसे शिक्षा के माध्यम को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। बच्चे जहाँ जन्म लेते हैं, जिस परिवेश में पलते-बढ़ते हैं, जिन लोगों के सम्पर्क में आते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने परिवेश के अनुसार भाषा, रहन-सहन, खान-पान आदि बातें सीखते हैं। वे कुछ ऐसे कार्य भी सीखते हैं, जो समाज उन्हें सीखना चाहता है। दरअसल, यह उनकी सामाजिक शिक्षा का अंग है। शिक्षा के इस रूप का अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा जीवन-पर्यंत चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा के साधन में घर परिवार, पर्म सम्प्रदाय समाज आदि आते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा के साधन बच्चे पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। शिक्षा के इन साधनों की न कोई पूर्व निश्चित योजना होता है और न ही कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य। इन साधनों से कार्य करने का समय तथा स्थान भी निश्चि नहीं होता है और न ही इन साधनों की देखभाल के लिए किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता ही होती है। बालक स्वतः या स्वतंत्र वातावरण में इन साधनों के सम्पर्क में आता है और इनके साथ स्वयं क्रिया करते हुए आकस्मिक तथा स्वाभाविक शिक्षा प्राप्त होती रहती है। बालक के सम्पर्क में आनेवाले वे सभी प्राणी जिनसे वे कुछ भी सीखते हैं, यह उनके शिक्षक कहलाते हैं। अब हम शिक्षा के अनौपचारिक साधन के रूप में पर अथवा परिवार (Family), समुदाय (The Community), धर्म (The Religion), राज्य (The State) इत्यादि आते हैं।

3.3.1 घर अथवा परिवार का कार्य अनौपचारिक साधन के रूप में (Main Functions of home or Family :As an Informal Agencies)पर, परिवार अथवा कुटुम्ब मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। यहाँ माँ बच्चे की पहली शिक्षक होती है। इस इकाई में बूढ़, बच्चे, जवान, माता-पिता, पति-पत्नी, भाई बहन सभी आते हैं। व्यक्ति का बचपन या शैशव काल सर्वाधिक प्रभावनीय या अतिसंवेदनशील काल होता है, जो एक साफ स्लेट की भांति होता है, जिस पर माहौल का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था में बच्चे के व्यवहार को किसी निश्चित दिशा में मोड़ा या दिशा निर्धारित किया जा सकता है, अगर इसके लिए उपयुक्त सामाजिक मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। यदि बच्चे को घर पर नकारात्मक प्रभाव प्रदान किए जाते हैं तो इन बच्चे के विद्यालय शिक्षा काल में दूर करना अत्यधि कठिन हो जाएगा और यदि बच्चे का पालन-पोषण एक स्वतंत्र, स्नेहयुक्त, कोमल तथा मुक्त वातावरण में किया जाए, जिससे बच्चे का विकास स्वस्थ तथा सुन्दर रूप में हो सके। अतः हम देखते हैं कि पर बच्चे के व्यक्तित्व में संज्ञानात्मक, सामाजिक, सर्वदात्मक तथा नैतिक विकास में

अपनी अहम भूमिका निभाता है। अतः हम परिवार के संबंध में विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं को देखें, जो निम्न हैं **पेस्टालॉजी के अनुसार**, "घर, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है।" "Home is the best place for education and the first school of the child." **pestalozzi**.

फोबेल के अनुसार, "माताएँ आदर्श अध्यापक हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है।" Mothers are the ideal teachers and the informal education given by home is most effective and natural".

उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार ही अन्य कई विद्वानों ने भी अपने विचार रखे।

मेकाडूवर तथा पेज ने परिवार का निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है- "परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन-पालन की व्यवस्था करता है। (The family is a group defined by sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children." **Maciver and Page**.)

भारतीय परिवारों का विश्लेषण किया जाए, तो उसमें हमें पांच तत्व दिखाई देते हैं। भारतीय परिवारों के निर्माण का मूल कारण दो भिन्न लिंगों का दाम्पत्य में बंधना होता है। दाम्पत्य जीवन द्वारा वे अपने वंशवृद्धि भी करते हैं। परिवार में बच्चों के जन्म लेने से उनके पालन-पोषण का उत्तरदायित्व का निर्वहन पति पत्नी साथ मिलकर करता है।

दो या दो से अधिक सहोदर एवं उनको संतान भी संयुक्त परिवार के सदस्य हो सकते हैं। अतः परिवार के पुरुष सदस्यों में रक्त का संबंध होना परिवार का दूसरा मूल तत्व होता है। भारतीय परिवारों की तोसरो विशेषता परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना अपना संयुक्त उत्तरदायिता समझते हैं। इस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए कार्य का विभाजन भी करते हैं। अतः इनके कार्यों का विभाजन इनका चौधा तत्व होता है। इसी प्रकार, परिवार में प्रेम और सहयोग का तत्व, पाँचों तत्व होता है। परिवार में यह पाँचा तत्व इतना महत्वपूर्ण है कि इसके अभाव में परिवार टूट भी सकता है।

हमेशा से घर या परिवार को शिक्षा के अनौपचारिक साधन के रूप में देखा गया है। परन्तु समय के साथ सामाजिक स्वरूप तथा कार्यों में भी बदलाव आया है। **ऑगबर्न तथा निमकांफ (Oghum and Nimcom)** के अनुसार, परिवार के निम्नलिखित कार्य हैं- (1) प्रेम-संबंधी (2) आर्थिक (3) रक्षा-संबंधी, (4) शैक्षिक, (5) मनोरंजन सम्बन्धी (6) परिवार की प्रतिष्ठा तथा (7) धर्म की स्थिति। परन्तु समय के साथ-साथ बहुत से बदलाव आए। जैसे तो बालक को परिवार में अनेक सुविधाएँ मिलती रहती हैं, परन्तु प्रत्येक परिवार दो महत्वपूर्ण बातों की पूर्ति अवश्य करता है- (1) स्नेह (Affection) तथा सामाजिक (Socialization)। घर पहली ऐसी सामाजिक संस्था होती है जो बच्चों का समाजीकरण करने का प्रयास करती है। जिसका उपयोग उनके भावी जीवन में आने वाले भूमिका का निष्पादन या कर्तव्य पालन के लिए अनिवार्य होता है। प्रत्येक समाज को अपने कार्य के निष्पादन के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। ये कार्य हैं- (1) समाज की संस्कृति को स्थाई रखना और (2) सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सुगमीकरण।

किसी सामाजिक संस्था को इन दो मूल प्राथमिक कार्यों से सामाजिक विरासत को संरक्षण (Preservation) परिवार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में आता है।

(क) सीखने का प्रथम स्थान (Priman Pince or-Learning) परिवार बच्चों का प्रथम शिक्षण संस्थान है। बच्चों में विकास को नोव परिवार द्वारा हो रखा जाता है। **रेमॉण्ट (Raymont)** ने कहा है कि बालक घर में अपनी माँ से चलना, बोलना, में तुम में अनार करना आदि सीखता है। वह परिवार में भाषा, रहन-सहन के तरीके, व्यवहार

प्रतिमानों को सीखता है। परिवार के सदस्यों के बीच रहकर बह प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का पाठ पढ़ता है। इसके साथ ही बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास में सहयोग भी प्रदान करते हैं।

(ख) संस्कृति का हस्तान्तरण (Transmission of (culture) प्रत्येक समाज को अपना हो संस्कृति होती है। किसी भी समाज को संस्कृति का अर्थ उस समाज का रहन सहन एवं खान-पान की विधि, रीति रिवाजों, कला कौशलों, संगीत नृत्य, धर्म दर्शन तथा भाषा साहित्य के रूप में होता है। बच्चा परिवार के माध्यम से अपनी संस्कृति को स्वतः सीखता है।

(ग) व्यक्तित्व का विकास (Development of Individual) बच्चे के व्यक्तित्व के विकास का सर्वाधिक उत्तरदायित्व परिवार का होता है। हालांकि शिक्षण के अन्य संस्थानों का भी बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक बच्चे की माँ का अपने बालक के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतया वैयक्तिक होता है। जिससे बच्चे अपने आपको इस संसार में महत्वपूर्ण समझने लगता है। यह महत्वपूर्ण समझना ही बालक के व्यक्तित्व को एक अलग दशा एवं दिशा प्रदान करता है।

हम देखते हैं कि शैक्षिक कार्यों में बालक के व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है।

3.3.2 समुदाय का कार्य: अनौपचारिक शिक्षा के साधन के रूप में (Main Functions Community: As an Agency Informal Education)

समुदाय व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जिसमें वह रहता है। समुदाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो एकता अथवा सामुदायिक भावना के जागृत हो जाने से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, सामान्य जीवन को सामान्य नियमों द्वारा व्यतीत करने के लिए विकसित किया जाता है। समुदाय के निर्माण तथा स्थायित्व के दृष्टिकोण से दो या दो से अधिक व्यक्ति का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत सामुदायिक भावना के लिए सामान्य जीवन तथा नियमों का होना परम आवश्यक है। समुदाय का क्षेत्र छोटे से छोटा हो सकता है और बड़े से बड़ा भी। सामान्यतः समुदाय का क्षेत्र उसके सदस्यों की आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक समानताओं पर निर्भर करता है। स्थानीय समुदायों में विभिन्नताएँ निम्नलिखित कारणों से पाई जाती हैं। समष्टि की प्रकृति (जैसे ग्राम, समुदाय, नगरीय समुदाय (Nature Community, Rural Community, Urban Community), (ii) भाषा (Language), (iii) धर्म अथवा पंथ (Religion), (iv) सामाजिक संगठन (Social Structure) तथा समुदाय की आर्थिक दशा (Economical Condition of Community)।

वास्तविकता में समुदाय अंग्रेजी रूपांतरण 'Community' दो शब्दों 'Com' तथा 'Munis' से मिलकर बना है, "Com" का अर्थ है--'Together' (एक साथ) तथा 'Munis' का अर्थ है-- 'To Serve' (सेवा करना)। यानि Community अर्थ है 'To serve together' (मिलकर सेवा करना)। समुदाय का अर्थ, समुदाय के सम्बन्ध में कहे गये उपरोक्त बातों को सही साबित करती है।

ऑर्बर्न तथा निमकोफ (Orburn And Nimkoff) ने कहा कि " किसी सीमित क्षेत्र के अन्तर्गत सामाजिक जीवन के सम्पूर्ण संगठन को समुदाय समझा जा सकता है। " ("A Community may be thought of the total organization of social life within a limited area ")। इसी प्रकार **के. डेविस (K. Davis)** ने भी समुदाय के संबंध में अपना मत व्यक्त किया है जो इस तरह है कि "समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है, जिसके अन्तर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलु आ सकते हैं (A Community is the smallest territorial groups that can embraces all aspects of Social life)। इन परिभाषाओं को देखने के बाद हम समुदाय के कार्यकलाप पर चर्चा करेंगे।

(i) **समुदाय के महत्वपूर्ण कार्य (Important Function of Community)**-विद्यालय या परिवार के हो समान समुदाय भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करता है। बालक वैसा ही बनता है, जैसा कि उका समुदाय के बड़े लोग उसको बनाते हैं। समुदाय बालक को शिक्षा को प्रारम्भ से ही प्रभावित करता है। समुदाय प्रभावपूर्ण बंग में बालक की आदतों, विचारों और स्वभाव को मोदता है। उनकी संस्कृति, रहन-सहन, बोलचाल आदि अनेक यहाँ पर उसके समुदाय की छाप होती है। समुदाय का वातावरण बालक के अनुसरण की जन्मनात प्रवृत्ति पर विशेष प्रभाव डालता है। उदाहरणस्वरूप यदि वह संगीतजों के साथ रहता है. तो उनकी संगीत कुशलता से प्रभावित होता है और उसमें संगीत के लिए रुचि उत्पन्न होती है।

बच्चे अपने समुदाय के स्वरूप को अपनाता है। उनका बोलचाल, दृष्टिकोण और व्यवहार में अंतर इसी वजह से होता है। इन सब कारणों से परिवार और विद्यालय के समान समुदाय भी शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है।

(ii) बालक की शिक्षा में समुदाय का प्रभाव (Effect Of Community in thie Education of Child) -- बालक की शिक्षा में समुदाय एक महत्वपूर्ण सक्रिय तथा अनौपचारिक साधन के रूप में आप निभाता है। समुदाय विद्यालय के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, साथ ही विद्यालय तथा बच्चों की आवश्यकताओं का भी निर्धारण भी करता है। डेलर्स आयोग ने अपनी अनुशंसाओं में भी इस बात का जिक्र किया है।

(I) विद्यालय तथा समुदाय के बीच संबंध (Relationship between School and Sociely- देने के क्रम में समुदाय का स्पष्ट प्रभाव विद्यालय पर देखने को मिलता है। भारत में स्थानीय समुदाय अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न है। विभिन्न प्रकार के समुदायों के प्रकृति के अनुसार अलग-अलग शैक्षणिक आवश्यक है और जन समुदाय को अनुरूप विभिन्न प्रकार आवश्यकताओं को पूरा करना विद्यालय का दायित्व है। अतः उनकी आवश्यकता के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना किया जाता है। जहाँ एक तरफ स्थानीय समुदाय शिक्ष प्रकृति, उसके विशेष प्रभावों तथा समुदाय द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को निर्धारित करती है, वहीं शैक्षिक संस्थाएँ भी स्थानीय समुदाय को प्रभावित करती है। अर्थात् स्थानीय समुदायों तथा शैक्षिक संस्थाओं के बीच पास संबंध होता है।

(iv) समुदाय की आर्थिक स्थिति (Economical condition of Society)-- समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का प्रभाव उसके विद्यालय एवं शैक्षिक प्रणाली पर भी पडता है। ऐसी स्थिति में समुदाय उपरोक्त उत्तरदायित्व की भूमिका में महत्व पूर्ण प्रभाव डालती हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत 45वीं धारा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2009 शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बना दिया गया है।

(V) **सामुदायिक कार्यकलापों में विद्यार्थियों भागीदारी (Students Participation in Society)**--सामुदायिक क्रियाकलापों में पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध, बंधुत्व, दूसरों का ख्याल रखनाइत्यादि आता है। सामाजिक कौशलों तथा मूल्यों के लिए व्यक्तियों में पारस्परिक अन्योन्य क्रिया तथा विद्यार्थियों में अन्योन्य क्रिया अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसी भागीदारी तथा अंतःक्रिया समुदाय सदस्यों के सदस्यों के अनुभव या ज्ञान की सीमा, पारस्परिक समझ और दूसरे व्यक्तियों के सांस्कृतिक, धार्मिक अन्तरों के स्वीकरण को व्यापक बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। डेलर्स आयोग ने अपनी अनुशंसा में कहा कि 'जब अध्यापक उसी समुदाय के सदस्य हो, जहाँ वह पढ़ाते हैं, तो उनकी भागीदारी अधिक स्पष्ट रूप से सुनिश्चित हो जाती है।

उपरोक्त व्याख्या के अन्तर्गत हमने औपचारिक (Formal) तथा अनौपचारिक शिक्षा साधनों का अध्ययन किया। अब हम शिक्षा के निरौपचारिक साधन (Non-formal Agencies) को जानेगे।

3.4 शिक्षा निरौपचारिक स्वरूप (Education Non-formal Type) एजुकेशन लिए निरौपचारिक शिक्षा, न-औपचारिक शिक्षा, शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा आदि शब्दों प्रयोग किया जाता है। औपचारिक (Formal) तथा अनौपचारिक शिक्षा का मिलाजुला स्वरूप है। इसमें न तो औपचारिक शिक्षा तरह अनेकों नियमरूपी बंधन होते हैं। वस्तुतः अनौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का उद्देश्य, शिक्षण विधियां आदि की औपचारिकताएं, औपचारिक शिक्षा की ही भांति होती हैं। परन्तु बालक अपनी योग्यता, समय अनुसार सीखता है। इस शिक्षा में खुलापन तो होता है। परन्तु दाखिले, पाठ्यक्रम, शैक्षिक स्थल, शिक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण का समय और अवधि किसी रोक नहीं होती है। इन्हें परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। असल में, शिक्षा का यह स्वरूप, शिक्षा को शिक्षार्थीयो तक पहुंचाने का एक प्रयास है। इसके शिक्षार्थी बालक, युवा तथा प्रौढ़ सभी हो सकते हैं। इस शिक्षा में लचीलेपन तथा आवश्यकता दोनों को प्राथमिकता दी गई है। निरौपचारिक शिक्षा जहाँ औपचारिक शिक्षा के दृढ़ बंधनों से मुक्ति देती है, वही शिक्षा के उद्देश्यों के मामले में औपचारिक शिक्षा की ही भांति उपयोगी तथा नियमित है। निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत खुला सीखना और पत्राचार पाठ्यक्रम (Open Learning and Correspondence Courses), खुला विद्यालय (Open School), खुला विश्वविद्यालय (Open university) आदि आते हैं।

1. औपचारिक विद्यालयों के साथ-साथ उसके विकल्प के रूप में एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था उपस्थित करना।
2. विद्यालय के बाहर पढने वालों, कामगार वयस्कों, गृहणियों तथा सुदूर क्षेत्र में रहने वाले समाज के पिछले वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना।
3. दूर शिक्षण विधियों (Distance Teaching Methods) के द्वारा माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक, प्राविधिक और जीवन को समृद्ध बनाने वाले पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना।
4. अनुसंधान, प्रकाशन और सूचना प्रसारण द्वारा शिक्षा की एक खुला, दूरस्थ उदगम (Open Distances Learning) व्यवस्था उपस्थित करना।

3.5 शिक्षा का निरौपचारिक स्वरूप (Education ns Non-form Type) नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए निरौपचारिक शिक्षा, न-औपचारिक शिक्षा अनौपचारिकदरा अनौपचारिक शिक्षा आदि हिन्दी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह औपचारिक (Formal) मा मनीषणारिक (Infornalyका मिलाजुला स्वरूप है। इसमें न तो औपचारिक शिक्षा को तरह अनेकों नियमरूपी बंधन होते हैं और न ही अनोपचारिक शिक्षा को ही भांति पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का उद्देश्य, शिक्षण-विधि आदि की औपचारिकताएँ होती हैं, परन्तु बालक अपनी योग्यता, रुचि तथा समय के अनुसार सीखता है। इस शिक्षा में खुला तो होता है परन्तु दाखिले, पाठ्यक्रम, शैक्षिक स्थल, शिक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण का समय और अवधि, किसी पर रोक नहीं होती है। इन्हें परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। असल शिक्षा का यह स्वरूप, शिक्षा को शिक्षार्थी यो तक पहुंचाने का एक प्रयास है। इसके शिक्षारथी बालक, युवा तथा प्रौढ़ सभी हो सकते हैं। इस शिक्षा में लचीलेपन तथा आवश्यकता दोनों को प्राथमिकता दी गई है। निरौपचारिक शिक्षा जहाँ औपचारिक शिक्षा के दृढ़ बंधनों से मुक्ति देती है, वहीं शिक्षा के उद्देश्यों के मामले में औपचारिक शिक्षा की ही भांति उपयोगी तथा नियमित है। निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत खुला सीखना और पत्राचार पाठ्यक्रम (Open Learning and Correspondence Courses), खुला विद्यालय (Open School), खुला विश्वविद्यालय (Open university) आदि आते हैं। इसके प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं--

1. औपचारिक विद्यालयों के साथ-साथ उसके विकल्प के रूप में एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था उपस्थित करना।
2. विद्यालय के बाहर पढने वालों, विद्यालय छोड़ने वालों, कामगार वयस्कों, गृहणियों तथा सुदूर क्षेत्र में रहने वाले समाज के पिछले वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है।
3. दूर शिक्षण विधियां (Distance teaching Methods) के द्वारा माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक, प्राविधिक और जीवन को समृद्ध बनाने वाले पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना है।
4. अनुसंधान, प्रकाशन और सूचना प्रसारण द्वारा शिक्षा की एक खुला, दूरस्थ उदगम (Open Distances Learning) व्यवस्था उपस्थित करना।

शिक्षा का यह स्वरूप द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उपनिवेशीय अवधि के बाद आया। साठवे दशक में व्यापक स्तर पर यह सोचा जाने लगा कि मात्र औपचारिक शिक्षा लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसी दौरान सन् 1968 में फिलिप कम्बस (Philip Combs) ने निरौपचारिक शिक्षा की चर्चा की। विकसित समाजों में एक नयी शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया है, जिसे निरौपचारिक शिक्षा (Non-Formal Education) कहा जाता है। वास्तव में, निरौपचारिक शिक्षा में तीव्र गति से परिवर्तनशील समाजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत हद तक सम्भावनाएँ थीं। परंतु इसकी परिभाषा 1970 के बाद ही की गयी। कम्बस और अहमद (Combs and Ahmed, 1974) के अनुसार, "जनसंख्या में विशेष उपसमूहों, वयस्कों तथा बालकों का चुना हुआ। इस प्रकार का अभिगम प्रदान करने के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के बाहर कोई भी संगठित, व्यवस्थित शैक्षिक कार्य निरौपचारिक शिक्षा है।"

3.4.1 निरौपचारिक शिक्षा साधन (Agencies Non-formal Education) शिक्षा तब तक सार्थक नहीं मानी जाती है, जब तक कक्षागृह के प्रभावों का समावेश उसके शिक्षा में मौजूद न हो और शिक्षार्थी के व्यवहार को अभीष्ट दिशा में निर्देशित करने में अपनी भूमिका निभाए। अतः सिर्फ विद्यालय ही व्यक्ति शिक्षा एकमात्र साधन नहीं है। इसके अतिरिक्त अनेक साधन हैं, जो व्यक्ति के विकास में मत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये निम्नलिखित हैं--

- (i) औपचारिक शिक्षा संस्थाएँ (Institution for Formal Education)
- (ii) निरौपचारिक शिक्षा के विशिष्ट साधन (Special Agencies) जैसे- कारखानों में प्रशिक्षण केन्द्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, पत्राचार शिक्षा के केन्द्र इत्यादि।
- (iii) क्लब और सोसाइटियों, जैसे स्वयंसेवी अथवा गैर-सरकारी संगठन।
- (iv) रेडियो, टेलीविजन, कैसेट, वीडियो कैसेट, इंटरनेट, संबंधित साइट्स इत्यादि।

जनसंचार गैर-औपचारिक शिक्षा का एक शक्तिशाली साधन है। जनसंचार के साधन के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ, खबरें, तथा तथ्यों को दूर-दराज के इलाकों में लगभग अधिकांश व्यक्तियों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया जाता है। गैर-औपचारिक शिक्षा के इन साधनों का प्रयोग कर अनेक शैक्षिक कार्यों को पूरा करने का अथक प्रयास किया जाता है। जैसे-"सबके लिए शिक्षा" (Education for all) पहुंचाने का कार्य रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से सामाजिक चेतना का विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रदर्शन, संस्कृति से परिचय तथा संरक्षण होता है। निरौपचारिक शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं में उन अंतरालों को भरती है, जिससे प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। वास्तव में निरौपचारिक शिक्षा का अपना प्रमाणिक अधिकार है। वह ऐच्छिक, , नियोजित, व्यवस्थित तथा आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षा प्रणाली है। यह सब संभव हो सका है जनसंचार माध्यमों की वजह से। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी में हुई उन्नति के फलस्वरूप मल्टी मीडिया प्रणालियों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। जिससे संचार में आश्चर्यजनक रूप से क्रांति आई, जो आधुनिक संसार को समझने महत्वपूर्ण साबित हुआ। मल्टीमीडिया की सहायता से विभिन्न व्यक्तियों के साथ चाहे वे देश के अन्दर हो या बाहर संप्रेषण और संवाद बढ़ा, जिसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया संप्रेषण संभव हो पाया। यहां तक कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 1987 में शैक्षिक तकनीकी योजना में संशोधन किया गया। ताकि इनके उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास तथा प्रसार किया जा सके।

3.5 सारांश (Summary) इस पाठ के अन्तर्गत शिक्षा की पद्धतियों के अन्तर्गत शिक्षा के विधियों तथा स्वरूप को जानना, जिसके माध्यम से बच्चों तथा अन्य व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा देने का यह स्वरूप तीन प्रकार का होता है--(i) औपचारिक (Formal), (ii) अनौपचारिक (Informal), तथा (iii) निरौपचारिक (Non-formal)। औपचारिक विधि के अन्तर्गत व्यक्तियों को शिक्षित करने के प्रयास के दौरान क्रमबद्ध व. सुविचारित उद्देश्य, पाठ्यचर्या तथा क्रियाविधियों होती हैं। अनौपचारिक शिक्षा के साधन के अंतर्गत घर, समुदाय आदि आता है

और निरौपचारिक स्वरूप की शिक्षा जनसम्बार माध्यमों के द्वारा दी जाती है। शिक्षा के उद्दरपों की प्राप्ति के लिए हम विभिन्न स्वरू का प्रयोग सतत शिक्षा के लिए करते हैं।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते है कि शिक्षा के समस्त प्रक्रिया के केन्द्र में बच्चा होता है जिसकी क्षमताओ को हम विभिन्न शिक्षा की विधियों से सजाने-संवारने का प्रयास करते हैं। अतः हम कर सकते हैं कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की सभी विधियों अपना अहम योगदान व स्थान रखती हैं।

3.6 अभ्यास के प्रश्न (Questions for Exercise)

1. शिक्षा की प्रणाली की व्याख्या करें।

(Explain the mode of Education.)

2 शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों का क्या अर्थ है? यालक के शिक्षा में विद्यालय के महत्व को बताएं।

(What is meant by formal and informal agencies of education 7 Describe the importance of school in the education of the child.)

3, शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के अन्तर को स्पष्ट कीजिए । बालक की शिक्षा में घर की भूमिका बताएं। (Distinguish between formal and informal agencies of education. Discuss the role of home in the education of the child).

4. शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधन क्या है ? इनमें से आप किन दो को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं ? सकारण बताइए।

(What are the formal and Informal agencies of education? Which of these two doportance of school in the education of the child.)

3. शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के अंतर को स्पष्ट कीजिए । बालक की शिक्षा घर की भूमिका बताएं। (Distinguish between formal and informal agencies of education. Discuss the role of home in the education of the child.

4. शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधन क्या है? इनमें से आप किन दो को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं ? कारण बताइए। (What are the formal and informal agencies of education ? Which of these two do you consider more important ? Explain with reasons.)

5. निरौपचारिक शिक्षा का क्या अभिप्राय है ? इन शिक्षा के साधनों की विवेचना कीजिए।

(What is meant by Non-formal Education ? Discuss its agencies.)

3.7 प्रस्तावित पाठ (Suggested Readings)

1. पाठक एवं त्यागी : शिक्षा के सिद्धान्त

2 सक्सेना, एन. आर. स्वरूप : शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त